

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री इन्द्र सिंह राव(आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 09/2017

बउनवान

भँवरशाह आयु 65 साल पुत्र श्री पीरशाह जाति—मुसलमान निवासी—मियाडा
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक— 25.03.2019

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—मियाडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 971, 972 कुल रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी II पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 140/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, बेदखलीनामा पत्रावली में नहीं है। विवादित आराजी की पैमाइश नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट अपील स्वीकार को जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2019 को निरस्त करमाया जावे।

पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को साक्ष्य के रूप में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

maps

जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 315/2013 निर्णय दिनांक 26.02.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी किस्म सिवायचक है, जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 315/13 निर्णय दिनांक 26.02.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 405/14 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

